

मालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

86/2018

तारीखरजू:-08.08.18

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- प्रभूसिंह बनाम हाकिम सिंह

दावा वावत इस्तरारहक

अन्तर्गत धारा 88,136 राज0 टे0 एक्ट

फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट दावा वावत इस्तरारहक अन्तर्गत धारा 88 व 136 राज0 टे0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 29.08.2018 को को पेश हो।

29/8-18
8/8/18

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

29.8.18

वादी वकील उप0/प्रतिवादी नं 3 का पत्रावली उप0 नही/ P.O. सी0 करौली की टिग में पधार दी आईन्दा दि 20.9.18 को पेश हो।
उनहयः प्रतिवादी नं. 2 का सम्मन अदमर लगील प्राप्त हुआ छे उनः तलबी हो। पत्रावली दिनांक 20.9.18 को पेश हो।

15.10.18

जनरल पेशी से पेश हुये
वादी वकील उप0/प्रतिवादी नं. 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने क्कालत जामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 1 व 3 के उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती छे जबाप पेश कले दि 17.12.18 को पेश हो।

M. 2 की कोर्ट
इसलिए
अपना नो

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

25-6-19 क्लाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी (अचक्र) पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 16-7-19 को पेश हो।

16-7-19 क्लाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी दोरे पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 13-8-19 को पेश हो।

13-8-19

वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण का अखलोकन किया गया। यह प्रकरण इन्हाज डुकस्ती घोषणा खतेदारी का पेश किया है जबकि यह प्रकरण शुद्धि पत्र से शुद्धि किये जाने का ही है आधार वर्ष संवत् 2043-2062 की तैयार जमाबंदी से नवीन जमाबंदी तैयार करते समय मादी प्रभूसिंह खतेदार का नाम तहरीर नहीं किया गया है। अ. प्रबंध कार्यवाही के पश्चात इन्हाज डुकस्त करने के लिए शुद्धि पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। यह प्रकरण भी इसी प्रकार की प्रकृति का है। अ. प्रबंध विभाग द्वारा तैयार की गई खतेदारी के खाता संख्या 13 में प्रभूसिंह का नाम दर्ज है किन्तु इसके बाद पखारी द्वारा तैयार की गई जमा संवत् 2052 के खाता संख्या 15 में प्रभूसिंह का नाम तहरीर नहीं किया गया है इस प्रकार यह प्रकरण शुद्धि पत्र के जरिये राजस्व रिपोर्ट डुकस्त किये जाना चाहिए।

अतः मूल पत्रावली न्यायालय तहसील टोडाभीम में भिजवाकर निर्देश है कि शुद्धि पत्र भ्रमर की प्रभूसिंह का नाम जमाबंदी में दर्ज किया जावे। पालना के साथ पत्रावली भिजवाये। इस न्यायालय से यह पत्रावली फैसल शुमार टोकर दर्ज रजिस्टर में डंकन किया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

4001
13-8-19

आदेश दीपालना
गाम भेरीपुर
में शुद्धि पत्र
सं. 1 दिनांक
18-9-19 5
कर डिभाग में

18/9/19